GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD) रेलवे बोर्ड

PC-VII No. 128
RBE No. 41 /2019

No. E(P&A)II/2018/RS/12 **New Delhi, dated : 06.03.2019**

The General Managers,
All Indian Railways &PUs.

Sub : Reckoning of pay element for revision of pension of pre-2016 retired Loco Inspectors.

*****

Please refer to Board's letter number D-43/34/2017-F(E)III, dt. 24.01.2018 (RBE No.13/2018) regarding revision of pension of pre-2016 retired running staff. After issue of this letter dt. 24.01.2018 references have been received from the recognized Federations and some of the Zonal Railways for issuing of instructions for revision of pension of pre-2016 retired Loco Inspectors and Chief Loco Inspectors.

2. Loco Inspectors and Chief Loco Inspectors are eligible for reckoning of 30% pay element for calculation of emoluments for pensionary benefits w.e.f. 01.01.1993 in terms of paragraph No. 5.5 of Board's letter No.E(P&A)II/83/RS-10(iv) dated 25.11.1992. When a Loco Inspector has rendered less than 10 months service as Loco Inspector as per revised scheme effective from 01.01.1993, reckoning of pay element is admissible on pro-rata basis e.g. if a Loco Inspector has rendered only 5 months service he will be entitled to only 15% pay element.

3. The reckoning of pay element for revision of pension of Loco Inspectors and Chief Loco Inspectors who have retired/died between/on 01.01.1993 and 31.12.2015 have been shown in the Annexure attached herewith.

4. Other conditions stipulated in DoP&PW's OM dated 12.05.2017 & 06.07.2017 will apply in the case of Loco Inspectors also. It is also clarified that higher of the two formulations i.e. the pension/family pension already revised in accordance of Board's letter No. 2016/F(E)III/1(1)/7 dated 10.08.2016 or the revised pension/family pension as worked out in accordance with para 3 above, shall be granted to pre-2016 retired Loco Inspectors as revised pension/family pension w.e.f 01.01.2016.

5. Loco Inspectors and Chief Loco Inspectors who have retired/died before 01.01.1993 are not eligible for reckoning of 30% pay element for calculation of emoluments for pensionary benefits, therefore, their notional fixation of pay for revision of pension would be done in the same way as being done in the case of non-running staff in general.

6. For those Loco Inspectors who have retired after 01.01.2016, the reckoning of pay element for calculation of emoluments for pensionary benefits would be administered in terms of Board's letter No. E(P&A)II-2015/RS-25 dated 13.11.2017 till further orders.

7. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA : As above

(N.P.Singh)
Joint Director, Estt.(P&A)
RailwayBoard

No. E(P&A)II/2018/RS/12 **New Delhi, dated : 06.03.2019**

Copy forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, New Delhi-110001.

For Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)II/2018/RS/12 **New Delhi, dated : 06.03.2019**

Copy to : -

(1) (i) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
(2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
(3) Director General RDSO Lucknow.
(4) The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISET, Secunderabad.
(5) The Principal, Railway Staff College, Vadodara.
(6) The Chairman RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
(7) The Chairman RRT, Chennai.
(8) The Chairman RCT, Delhi.
(9) The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bilaspur, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
(10) The General Manager CORE, Allahabad.
(11) The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No.469, Rail Bhawan, New Delhi.
(12) The Editor, 'Indian Railways' Room No. 411, Rail Bhawan, New Delhi.
(13) The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No.543, Rail Bhawan, New Delhi.
(14) The Chairman, Passenger Services Committee, 218, Rail Bhawan, New Delhi.
(15) The C.A.O.(R) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
(16) The Director, CAMTECH/Gwalior.
(17) The C.A.Os,(a) MTP(R) Mumbai, (b) MTP(R) Chennai.
(18) Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Centre Organization for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
(19) The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad,.
(20) The C.A.O.(Const). Central Railway, Mumbai.
(21) The Director (Movement) Railways/Kolkata.
(22) The Gen. Secy., IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi.
(23) The General Manager, CAO/FOIS Office, Northern Railway, CRIS Camp Chanakayapuri, New Delhi.
(24) M/s Bahari Brothers, 742, Lajpat Rai Market, P.O. Box No. 2032, Delhi -06.

(N.P.Singh)
Joint Director, Estt.(P&A)
RailwayBoard

No. E(P&A)II/2018/RS/12 **New Delhi, dated : 06 .03.2019**

Copy to :

(i) The General Secretary, AIRF
(ii) The General Secretary, NFIR
(iii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi
(iv) The Secretary General, FROA.
(v) The Secretary General, IRPOF.
(vi) The Secretary General, All India RPF Association.
(vii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(viii) The Secretary, RBSS, Group A Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
(ix) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
(x) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
(xi) The General Secretary, Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan.
(xii) The General Secretary, Railway Board Secretariat Stenographers Services Association, Rail Bhawan.

for Secretary/Railway Board.

Copy to : PSO/Sr.PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MoS(S), MoS(G), CRB, FC, MS, MT, ME, Member (Rolling Stock), Member (Traction), Secy., DG/Pers., DG/RHS, DG/RPF, AM(B), AM(CE), AM (staff), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(Mech), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv(Transformation), Adv(F), Adv. (Bridge), Adv(IR), Adv(L&A), Adv(Safety), Adv.(Infrastructure), Adv(Legal), Add. Chief Economic Adviser, Secretary, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(EEM), EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), ED(EEM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Frt.), EDME(Trg.), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), ED/Track(M), ED/Track(MC), ED/Track(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), ED (ERP), ED(Innovation)/MoS(S), ED/Traffic & Comml. (EnHM), ED/Elec./Transformation, ED(NFR/TC).

*****

ANNEXURE

Board's letter No.E(P&A)II/2018/RS/12 **New Delhi, dated 06.03.2019**

Illustrations for the fixation of pension of Chief Loco Inspectors/Loco Inspectors who retired/died between/on 01.01.1993 and 31.12.2015.		
	ILLUSTRATION 1	**ILLUSTRATION 2**
	Employee retired from Basic Pay of Rs. 2300/- in scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200 during 4th CPC period ***(Equivalent scale 5th CPC Rs. 6500-200-10500,6th CPC PB-2+GP Rs. 4200/-, 7th CPC Level 6)***	**Employee retired from Basic Pay Rs. 3200/- in scale of Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500 during 4th CPC period** ***(Equivalent scale 5th CPC Rs. 7450-225-11500, 6th CPC PB-2+GP Rs.4600, 7th CPC Level 7)***
BASIC PAY DURING 4th CPC	2300	3200
30% OF BASIC PAY 30% add on benefit admissible **only** in those cases where employee rendered 10 months service as Loco Inspector on or after 1.1.1993 as per revised scheme. In case of lower period of such service pro-rata benefit would be admissible. (Authority: Para 5.5 of Board's letter No.E(P&A)II/83/RS-10(iv) dated 25.11.1992.)	690	960
Reference Basic Pay/Emoluments for calculation/revision of Pension to be taken as base.	2990	4160
Notional Pay Fixation in 5th CPC replacement pay scale		
(i)Reference Basic Pay/Emoluments during 4th CPC	2990	4160
(ii)DA appropriate to applicable Pay slab as per Board's letter No. PCIV/86/DA/1 dated	4425	5180

No. PCIV/86/DA/1 dated 26.03.1996 RBE No.30/96 (@148%/ 111%/ 96%)		
(iii) IR 1 @ Rs.100(RBE No.146/93)	100	100
(iv)IR 2 @10% (RBE No. PC-V/95/IR dated 19.07.1995)	299	416
(v) FITMENT BENEFIT 40% of Basic Pay	1196	1664
SUM of (i) to (v)	9010	11520
Equivalent or Next stage in equivalent pay scale	9100	11500 (Max)
Notional Pay Fixation in 6th CPC replacement pay scale		
(i)Reference Basic Pay/Emoluments during 5th CPC	9100	11500
(ii)DA appropriate to applicable Pay slab @86%	7826	9890
(iii)FITMENT BENEFIT (GP)	4200	4600
SUM of (i) to (iii)	21126	25990
Total Basic Pay (Pay in Pay Band + GP) in equivalent pay scale PB-2+GP Rs.4200/4600	21130	25990
Notional Pay Fixation in 7th CPC replacement pay scale		
(i)Equated stationery BP/Emoluments during 6th CPC	21130	25990
(ii) DA appropriate to applicable Pay slab 125%	26412.5	32487.5
(iii) FITMENT BENEFIT 32%	6761.6	8316.8
SUM of (i) to (iii)	54304.1	66794.3
Total Basic Pay (Pay in Pay Matrix) in appropriate cell in equivalent Level	55200	68000
Basic Pay	**55200**	**68000**
Pension during 7th CPC	**27600**	**34000**
Family Pension during 7th CPC	**16560**	**20400**

******

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 128
आरबीई सं. 41 /2019

सं.ई(पी एंड ए)II-2018/आरएस/12 **नई दिल्ली, दिनांक: 06.03.2019**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोको इन्सपेक्टरों की पेंशन के संशोधन के लिए वेतन तत्व की गणना करना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 24.01.2008 के पत्र सं.डी-43/34/2017-एफ(ई)-III (आरबीई सं.13/2018) का अवलोकन करें, जो 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए रनिंग स्टाफ की पेंशन के संशोधन के बारे में है। दिनांक 24.01.2018 को इस पत्र के जारी होने के बाद, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोको इन्सपेक्टरों और मुख्य लोको इन्सपेक्टरों की पेंशन के संशोधन के लिए अनुदेश जारी करने के लिए मान्यताप्राप्त फेडरेशनों और कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. बोर्ड के दिनांक 25.11.1992 के पत्र सं.ई(पी एंड ए)II/83/आरएस-10(iv) के पैराग्राफ सं.5.5 के संबंध में लोको इन्सपेक्टर और मुख्य लोको इन्सपेक्टर 01.01.1993 से पेंशन संबंधी लाभों के लिए परिलब्धियों की गणना करने के लिए 30 प्रतिशत वेतन तत्व की गणना के लिए अर्हक हैं। जब किसी लोको इन्सपेक्टर ने 01.01.1993 से लागू संशोधित योजना के अनुसार लोको इन्सपेक्टर के रूप में 10 माह से कम सेवा की हो तो वेतन तत्व की गणना यथानुपात (प्रो-राटा) आधार पर स्वीकार्य होगी अर्थात यदि किसी लोको इन्सपेक्टर ने केवल 5 माह की सेवा की है तो वह केवल 15 प्रतिशत वेतन तत्व के लिए पात्र होगा।

3. 01.01.1993 और 31.12.2015 के बीच/को सेवानिवृत्त/मृत हुए लोको इन्सपेक्टरों और मुख्य लोको इन्सपेक्टरों की पेंशन के संशोधन के लिए वेतन तत्व की गणना को इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में दर्शाया गया है।

4. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 12.05.2017 एवं 06.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें लोको इन्सपेक्टरों के मामले में भी लागू होंगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 01.01.2016 से संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में 2016 से पहले सेवानिवृत्त लोको इन्सपेक्टरों को दो गणनाओं में से उच्चतर अर्थात बोर्ड के दिनांक 10.08.2016 के पत्र सं.2016/एफ(ई)III/1(1)/7 के अनुसार पहले से संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन या उक्त पैरा 3 के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी।

5. 01.01.1993 से पहले सेवानिवृत्त/मृत हुए लोको इन्सपेक्टर और मुख्य लोको इन्सपेक्टर पेंशन संबंधी लाभों के लिए परिलब्धियों की गणना करने के लिए 30 प्रतिशत वेतन तत्व की गणना के लिए अर्हक नहीं हैं, इसलिए, पेंशन के संशोधन के लिए उनके वेतन का कल्पित (नोशनल) निर्धारण उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर नॉन-रनिंग स्टाफ के मामले में किया जा रहा है।

6. 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोको इन्सपेक्टरों के मामले में, पेंशन संबंधी लाभों हेतु परिलब्धियों की गणना करने के लिए वेतन तत्व की गणना अगले आदेशों तक बोर्ड के दिनांक 13.11.2017 के पत्र सं.ई(पी एंड ए)II-2015/आरएस/25 के अनुसार शासित होगी।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एंड ए)II-2018/आरएस/12 **नई दिल्ली, दिनांक:06.03.2019**

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.ई(पी एंड ए)II-2018/आरएस/12 **नई दिल्ली, दिनांक: 06.03.2019**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि।
(2) मुख्य संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
(3) महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ.
(4) निदेशक, (क) ईरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद
(5) प्रिंसिपल, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.
(6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय/नई दिल्ली.
(7) अध्यक्ष, आरआरटी/चेन्नै।
(8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
(9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, चेन्नै, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और तिरुवनंतपुरम।
(10) महाप्रबंधक कोर, इलाहाबाद।
(11) संपादक, 'भारतीय रेल', कमरा सं.469, रेल भवन, नई दिल्ली।
(12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़', कमरा सं.411, रेल भवन, नई दिल्ली।
(13) संपादक, 'रेल राजभाषा', कमरा सं.543, रेल भवन, नई दिल्ली।
(14) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।
(15) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।
(16) निदेशक, कैमटैक/ग्वालियर।
(17) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (क) एमटीपी(आर), मुंबई, (ख) एमटीपी(आर) चेन्नै।
(18) मुख्य परियोजना प्रशासक (टेलीकॉम) का कार्यालय, इंडियन रेलवे सैन्ट्रल आर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकॉम कन्सलटेंसी, शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली।
(19) मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद।
(20) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), केंद्रीय रेलवे, मुंबई।
(21) निदेशक (संचालन) रेलवे/कोलकाता।

(22) जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, डीआरएम कार्यालय परिसर, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
(23) महाप्रबंधक, सीएओ/एफ़ओआईएस कार्यालय, उत्तर रेलवे, क्रिस कैंप, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
(24) मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, पी.ओ. बॉक्स सं. 2032, दिल्ली-06.

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एंड ए)II-2018/आरएस/12 **नई दिल्ली, दिनांक:** 06.03.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।
(ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।
(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।
(v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।
(vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
(vii) सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे क्लास ।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन।
(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन,
(xi) जनरल सेक्रेटरी, गैर लिपिकीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन।
(xii) जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

*****

अनुलग्नक

बोर्ड का पत्र सं.ई(पी एंड ए)II-2018/आरएस/12 **नई दिल्ली, दिनांक:** 06.03.2019

01.01.1993 और 31.12.2015 के बीच/को सेवानिवृत्त/मृत हुए मुख्य लोको इंस्पेक्टरों/लोको इंस्पेक्टरों की पेंशन के निर्धारण के लिए उदाहरण		
	उदाहरण 1	**उदाहरण 2**
	चौथे सीपीसी अवधि के दौरान रु.2000-60-2300-ईबी-75-3200 के वेतनमान में 2300/- रु. के मूल वेतन से सेवानिवृत्त कर्मचारी (पांचवें सीपीसी में रु.6500-200-10500, छठे सीपीसी में पीबी-2+ जीपी रु.4200/, सातवें सीपीसी में लेवल 6 के समतुल्य वेतनमान)	**चौथे सीपीसी अवधि के दौरान रु.2375-75-3200-ईबी-100-3500 के वेतनमान में 3200/- रु. के मूल वेतन से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी (पांचवें सीपीसी में रु.7450-225-11500, छठे सीपीसी में पीबी-2+ जीपी रु.4600/-, सातवें सीपीसी में लेवल 7 के समतुल्य वेतनमान)**
चौथे सीपीसी के दौरान मूल वेतन	2300	3200
मूल वेतन का 30% केवल उन मामलों में 30% का एड ऑन लाभ स्वीकार्य होगा, जिनमें संशोधित योजना के अनुसार कर्मचारी ने 1.1.1993 को या बाद में लोको इंस्पेक्टर के रूप में 10 माह तक कार्य किया है। इस सेवा में कम अवधि के मामले में यथानुपात लाभ स्वीकार्य होंगे। (प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 25.11.1992 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)II/83/आरएस-10(iv) का पैरा 5.5	690	960
संदर्भ पेंशन की गणना/संशोधन के लिए मूल वेतन/परिलब्धियों को आधार माना जाए।	2990	4160
पांचवें सीपीसी में प्रतिस्थापन वेतनमान में कल्पित वेतन निर्धारण		
(i) संदर्भ चौथे सीपीसी के दौरान मूल वेतन/परिलब्धियाँ	2990	4160
(ii)बोर्ड के दिनांक 26.03.1996 के पत्र सं.पीसीIV/86/डीए/1 (आरबीई सं.30/96) के अनुसार वेतन स्लैब लागू करने हेतु यथोचित डीए (@148%/111%/96%)	4425	5180

(iii) आईआर 1 @ 100 रुपए (आरबीई सं.146/93)	100	100
(iv) आईआर 2 @10% (दिनांक 19.07.1995 का आरबीई सं.पीसी-V/95/आईआर)	299	416
(v) मूल वेतन का 40% फिटमेंट लाभ	1196	1664
(i) से (v) का कुल योग	9010	11520
समतुल्य अथवा समतुल्य वेतनमान में अगला स्तर	9100	11500 (अधिकतम)
छठे सीपीसी में प्रतिस्थापन वेतनमान में कल्पित वेतन निर्धारण		
(i) संदर्भ पांचवें सीपीसी के दौरान मूल वेतन/परिलब्धियाँ	9100	11500
(ii) वेतन स्लैब लागू करने हेतु यथोचित डीए @86%	7826	9890
(iii) फिटमेंट लाभ (जीपी)	4200	4600
(i) से (iii) का कुल योग	21126	25990
वेतनमान पीबी-2+जीपी रु.4200/ 4600 में समतुल्य कुल मूल वेतन (वेतन बैंड + जीपी में वेतन)	21130	25990
सातवें सीपीसी में प्रतिस्थापन वेतनमान में कल्पित वेतन निर्धारण		
(i)छठे सीपीसी के दौरान समान अचल मूल वेतन/परिलब्धियां	21130	25990
(ii) वेतन स्लैब लागू करने हेतु यथोचित डीए 125%	26412.5	32487.5
(iii) फिटमेंट लाभ 32%	6761.6	8316.8
(i) से (iii) का कुल योग	54304.1	66794.3
यथोचित सेल में समतुल्य कुल मूल वेतन (पे मेट्रिक्स में वेतन)	55200	68000
मूल वेतन	**55200**	**68000**
सातवें सीपीसी के दौरान पेंशन	**27600**	**34000**
सातवें सीपीसी के दौरान परिवार पेंशन	**16560**	**20400**

****